

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापूर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 133/2015

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

अनवान

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि नारायण लाल तेली निवासी सहाडा तहसील सहाडा

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु गंगापूर, जिला-भीलवाड़ा
2. परियोजना अधिकारी राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण आर.सी.व्यास कोलोनी भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)।

प्रतिवादीगण

दिनांक12.2019

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सहाडा के बेरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 1331/1 रकबा 5 बिस्वा भूमि शमसुदीन पिता रफीकुदीन मुसलमान निवासी गंगापूर के नाम खातेदारी हक अधिकार से दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि को तत्कालीन खोतदार से मांगी लाल पिता कजोडीमल सुराणा निवासी सहाडा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सन् 1969 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 911 फैसल किया गया। उक्त भूमि जमाबन्दी संख्या 2026 से 2029 में मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा के नाम खातेदारी हक अधिकार से दर्ज हुई हैं। मांगीलाल ने उक्त भूमि अपने नाम होने के पश्चात् आबादीमें दर्ज करवाने की कार्यवाही की। भूमि सहाडा के नामान्तरकरण संख्या 1034 दिनांक 28.11.19971 को बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिस भूमि को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1045 दिनांक 23.02.1972 को आबादी में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया। भू-प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान ग्राम सहाडा का भी नवीन भू-प्रबन्ध हुआ जिसमें साबिक आराजी संख्या 1331/1 रकबा 05 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 3494 रकबा 0.02 है0 3496 रकबा 0.02 है0 3497 रकबा 0.01 है0 कायम किये गये है उक्त आराजियात का इन्द्राज खातेदार के नाम नहीं होने से गे0मु0 आबादी में बिलानाम गैर काबिल काश्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात मांगीलाल सुराणा के वारिसान के कब्जे व अधिकार में है। यह कि उक्त भूमियों में जिन हिस्से पर लक्ष्मीलाल पिता मांगीलाल काबिज होकर स्वामी थे उन्होंने रूपयों की आवश्यकता से उक्त आबादीशुदा भुखण्ड मुझ वादिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 13.08.2004को विक्रय कर भौतिक कब्जा सिपुर्द कर दिया। तब से ही उक्त भुखण्ड

यक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

वादिया के आधिपत्य में होकर उसके उपयोग उपभोग में है, जिस पर वादिया ने मकान का भी निर्माण करवा रखा है। वादिया काविज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। वादिया का कय शुदा भुखण्ड हाल आराजी संख्या 3496 व 3497 में आता है जिसमें वादिया अपने परिवार सहित करती चली आ रही है।

यह कि राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों ने भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही के दौरान भूमि को बिलानाम करते हुए अन्दर हल्का आवादी में दर्ज कर दी जबकि उन्हें अन्दर हल्का आवादी भूमि रूपान्तरण का अंकन करते हुए उसे पुनः खातेदार के नाम दर्ज करनी थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे उक्त भूमि आज भी बिलानाम गैर मुमकिन आवादी दर्ज चली आ रही है।

आराजी संख्या 3496 व 3497 में दर्ज भूमि में वादिया के कयशुदा हिस्से को बिलानाम गैर काबिल काशत के वजाय वादीया के नामदर्ज करवाया जाना है। उक्त भूमि का आंशिक भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 को चौड़ा करने फोरलेन

करने में अवाप्त किया जा रहा है। वादीया ने वाद पत्रमें प्रार्थना की है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि ग्राम सहाडा के हाल आराजी संख्या 3496 व 3497 कुल किता 2 कुल रकबा 0.03 है० में से 831.25 वर्ग फीट की भूमि बिलानाम नहीं होकर वादिया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिससे पूर्व नामान्तरण संख्या 1034 व 1045 को निरस्त बिलानाम के बजाए वादिया का नाम बतौर स्वामी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जावें। वादी ने प्रार्थना यह भी की है कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 02 वाद वर्णित आराजीयात में निहित वादिया के हिस्से का अवाप्त शुदा भाग का मुआवजा वादीया के अतिरिक्त किसी अन्य को भुगतान नहीं करें।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.09.2015 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने जवाब में बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 में अंकित तथ्यों को रेकार्ड अनुसार स्वीकार किया है। तथा प्रतिवादी नम्बर 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में वादी का वाद पत्र खारिज करने बाबत् निवेदन किया।

वादिया की साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान P.W-1 प्रस्तुत किये गये हैं। विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है जो प्रदर्श 1 है। ग्राम सहाडा की जमाबन्दी संवत् 2026-29 प्रदर्श 2 में अंकितानुसार आ०नं० 1331/1 रकबा 5 बिस्वा भूमि शमसुदीन पिता रफीकुदीन मुसलमान निवासी गंगापुर के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसे शमसुदीन पिता रफीकुदीन मुसलमान निवासी गंगापुर द्वारा श्री मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा निवासी सहाडा को विक्रय किया जाने से खातेदारी हक से दर्ज बना पाया जाता है। नामान्तरण संख्या 911 प्रदर्श 3 है। नामा०सं० 1034 दिनांक 28.11.1971 से उक्त भूमि बिलानाम दर्ज की गई तथा नामा० संख्या 1045 दिनांक 23.02.1972 को आबादी में दर्ज हुई। जिसकी प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श 4 व 5 हैं।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

साबिक आराजी नम्बर 1331/1 रकबा 0.05 हे० के नवीन आराजी नम्बर 3494 रकबा 0.02 हे० आराजी संख्या 3496 रकबा 0.02 हे० आराजी नंबर 3497 रकबा 0.01 हे० कायम किये गये जिसके मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 हैं। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071-74 प्रदर्श 7 है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श 8 है। वादीया ने अपनी साक्ष्य में कुल 8 दस्तावेज प्रदर्श कराये।

तहसीलदार सहाड़ा से प्रकरण में रिपोर्ट चाही गई रिपोर्ट अनुसार:-

यह कि वादिया सुशीला देवी का ग्राम सहाड़ा की वर्तमान आराजी नं० 3497 रकबा 0.01 हे० में मौके पर 2 गुणा 15 अर्थात् 30 वर्गमीटर पर कब्जा है। तथा आराजी नं० 3496/1 रकबा 0.0050 हे० में 3 गुणा 15 अर्थात् 45 वर्गमीटर पर कब्जा है।

यह कि वर्तमान राजस्व नक्शा एवं जमाबंदी रेकार्ड में रकबे का मिलान नहीं होता है। राजस्व नक्शा बड़ा बना दिया गया एवं जमाबंदी में रकबा कम है।

यह कि राजस्व रेकार्ड अनुसार मूल आराजी नं० 3496 के वर्तमान में टुकड़े होकर आराजी नं० 3496/1 रकबा 0.0050 हे०, आराजी नं० 3496/2 रकबा 0.0150 हे० एवं आराजी नं० 3497 रकबा 0.01 हे० दर्ज रेकार्ड है। (नक्शा ट्रेस संलग्न है।)

वादीया अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि वादिया ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादिया के पक्ष में स्वीकार किया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब/रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं दौराने बहस अवगत कराया कि वादिया द्वारा रिलिफ चाही गई आराजियात के संबंध में श्रीमान् के न्यायालय द्वारा किसी अन्य के पक्ष में वाद डिक्री किया जाकर एन०एच०आई के नाम उक्त आराजियात दर्ज रेकार्ड है जिससे यह वाद पोषनीय नहीं होकर खारिज योग्य है अतः वाद खारिज किया जाना उचित होगा।

मैंने पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार सहाड़ा रिपोर्ट व बहस पर मनन किया कि वादिया सुशीला देवी का ग्राम सहाड़ा की वर्तमान आराजी नं० 3497 रकबा 0.01 हे० में मौके पर 2 गुणा 15 अर्थात् 30 वर्गमीटर पर कब्जा है। तथा आराजी नं० 3496/1 रकबा 0.0050 हे० में 3 गुणा 15 अर्थात् 45 वर्गमीटर पर कब्जा है। यह कि वर्तमान राजस्व नक्शा एवं जमाबंदी रेकार्ड में रकबे का मिलान नहीं होता है। राजस्व नक्शा बड़ा बना दिया गया एवं जमाबंदी में रकबा कम है। एवं वादिया द्वारा रिलिफ चाही गई आराजियात के संबंध में इस न्यायालय द्वारा किसी अन्य के पक्ष में वाद डिक्री किया जाकर एन०एच०आई के नाम उक्त आराजियात दर्ज रेकार्ड है। तथा वादिया द्वारा निर्माण का मुआवजा दिया जाना उचित है। साथ ही वादिया रिलिफ चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करें।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जिला शीलवाड़ा

मुकदमा नम्बर 133/2015
वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीयागण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 वादीया के पक्ष में डिक्री किया जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :-

वादीयागण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 आर0टी0ए0 का पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(विकास पंचोली)

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा